न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2017 **दायर तारीख 29.06.2017**

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. विष्णुप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति अहीर निवासी बिदारा तहसील शाहपुरा
2. स्वतन्त्र कुमार पुत्र बन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
3. गजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर
4. ओमप्रकाश } पुत्रान मदनलाल
5. बालकृष्ण }
6. रामगोपाल }
7. प्रेम देवी पुत्री मदनलाल
8. मुन्नी देवी पत्नि विरेन्द्र कुमार
9. निमिषा पुत्री विरेन्द्र कुमार
10. द्विजेन्द्र कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार

(4 से 10) जाति ब्राहम्ण निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : – पैरोकार सरकार
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 3

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 11-01-2018

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 888/0.25, 889/1/0.40, 902/1/0.35 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजड 2 की खातेदारी विष्णुप्रसाद पुत्र मोहनलाल के नाम, खसरा नम्बर 889/2/0.47 हैक्टेयर किस्म बंजड–2 की खातेदारी स्वतन्त्र कुमार हिस्सा 46/47, गजेन्द्र

हिस्सा 1/47 के नाम, खसरा नम्बर 902/2/0.38, 901/1308/0.15 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.53 हैक्टेयर की खातेदारी गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल एवं खसरा नम्बर 885/0.02, 886/0.06, 887/0.20, 889/0.20, 902/0.53 हैक्टेयर किता 5 रकबा 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी ओमप्रकाश, बालकृष्ण, रामगोपाल पुत्रान मदनलाल हिस्सा 3/5, प्रेम देवी हिस्सा 1/5, मुन्नी देवी, निमिषा हिस्सा 1/10, द्विजेन्द्र कुमार हिस्सा 1/10 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मिट्टी मोरम डालकर रास्ता बनाकर आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए, तथा जवाब दावा पेश किया।

3. अप्रार्थीगण का जवाब रहा कि खसरा नम्बर 889/1, 902/1 मे से 889/1/3 रकबा 0.0366 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता, खसरा नम्बर 902/1/3 रकबा 0.0168 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता सिवायचक नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 18.05.2017 तथा खसरा नम्बर 902/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर मे से खसरा नम्बर 902/2/0.028 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता सिवायचक सम्पर्ण द्वारा नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 18.05.2017 दर्ज रिकार्ड हुआ है। अप्रार्थीगण ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.05.2015 को हाल खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर मे से 0.46 हैक्टेयर यानी 4600 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण करवा लिया है। अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा कार्य वैधानिक व विधि सम्मत है। इसके साथ ही अप्रार्थी ने अन्य खसरा नम्बर 888, 889/1/4, 902/1/4 के संपरिवर्तन की पत्रावली दिनांक 27.06.2017 को विष्णुप्रसाद के नाम से पेश कर दी थी, जिस पर दिनांक 28.06.2017 को तहसीलदार विराटनगर को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया है तथा हाल खसरा नम्बर 901/1308, 902/2/6 के संपरिवर्तन की पत्रावली श्रीमान के समक्ष दिनांक 27.06.2017 को गजेन्द्र कुमार के नाम से पेश कर दी थी, जिस पर दिनांक 28.06.2017 को तहसीलदार की मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। इसके पश्चात् विष्णुप्रसाद के नाम से ही वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिए 0.15 हैक्टेयर भूमि की पत्रावली भी पेश की गई है, उक्त पत्रावली में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पश्चात अप्रार्थी ने सुमोटो राशि

25590/–रू॰ चालान नम्बर 48 दिनांक 28.11.2017 को जमा करवा दिया है। उक्त खसरा नम्बरान की रिपोर्ट तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त हो चुकी है, जिसमें खसरा नम्बर 888, 889/1/4, 902/1/4 को मौके पर खाली बताया गया है तथा खसरा गिरदावरी मे हलका पटवारी द्वारा सम्पूर्ण भूमि मौके पर रिक्त बतायी गई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति संपरिवर्तन आदेश क्रमांक : 530–537 दिनांक 19.05.2015, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2073–2076, फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2073–2076, फोटोप्रति नक्शा ट्रेस, फोटोप्रति संपरिवर्तन चैक लिस्ट खसरा नम्बर 888, 889/1/4, 902/1/4, आदि पेश किया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 888/0.25, 889/1/0.40, 902/1/0.35 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजड 2 की खातेदारी विष्णुप्रसाद पुत्र मोहनलाल के नाम, खसरा नम्बर 889/2/0.47 हैक्टेयर किस्म बंजड–2 की खातेदारी स्वतन्त्र कुमार हिस्सा 46/47, गजेन्द्र हिस्सा 1/47 के नाम, खसरा नम्बर 902/2/0.38, 901/1308/0.15 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.53 हैक्टेयर की खातेदारी गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल एवं खसरा नम्बर 885/0.02, 886/0.06, 887/0.20, 889/0.20, 902/0.53 हैक्टेयर किता 5 रकबा 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी ओमप्रकाश, बालकृष्ण, रामगोपाल पुत्रान मदनलाल हिस्सा 3/5, प्रेम देवी हिस्सा 1/5, मुन्नी देवी, निमिषा हिस्सा 1/10, द्विजेन्द्र कुमार हिस्सा 1/10 के नाम दर्ज रिकार्ड है। पैरोकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर खेती नहीं की जा रही है तथा कॉलोनी काटने की मंशा से मिट्टी मोरम डालकर रास्ता बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि खसरा नम्बर 889/1, 902/1 मे से 889/1/3 रकबा 0.0366 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता, खसरा नम्बर 902/1/3 रकबा 0.0168 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता सिवायचक नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 18.05.2017 तथा खसरा नम्बर 902/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर मे से खसरा नम्बर 902/2/0.028 हैक्टेयर गैरमुमकीन रास्ता सिवायचक सम्पर्ण द्वारा नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 18.05.2017 दर्ज रिकार्ड हुआ है।

अप्रार्थीगण ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.05.2015 को हाल खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर मे से 0.46 हैक्टेयर यानी 4600 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण करवा लिया है, जिसकी प्रति पत्रावली मे संलग्न है। इसके साथ ही अप्रार्थी ने अन्य खसरा नम्बर 888, 889/1/4, 902/1/4 के संपरिवर्तन की

पत्रावली दिनांक 27.06.2017 को विष्णुप्रसाद के नाम से पेश है, जिस पर दिनांक 28.06.2017 को तहसीलदार विराटनगर को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया है तथा हाल खसरा नम्बर 901/1308, 902/2/6 के संपरिवर्तन की पत्रावली भी दिनांक 27.06.2017 को गजेन्द्र कुमार के नाम से पेश कर है, जिस पर दिनांक 28.06.2017 को तहसीलदार की मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। इसके पश्चात् विष्णुप्रसाद के नाम से ही वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिए 0.15 हैक्टेयर भूमि की पत्रावली भी पेश की गई है, उक्त पत्रावली में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पश्चात अप्रार्थी ने सुमोटो राशि 25590/—रू० चालान नम्बर 48 दिनांक 28.11.2017 को जमा करवा दिया है। उक्त खसरा नम्बरान की रिपोर्ट तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त हो चुकी है, जिसमें खसरा नम्बर 888, 889/1/4, 902/1/4 को मौके पर खाली बताया गया है तथा खसरा गिरदावरी मे हलका पटवारी द्वारा उक्त पर कोई गैर कृषि कार्य होना नहीं बताया गया है।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार विराटनगर से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसके मुताबिक ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 888, 889/1, 889/2, 901/1308 तथा खसरा नम्बर 885, 886, 887, 889 मौके पर खाली है एवं खसरा नम्बर 889/1, 902/1, 902/2 मे से 0.08 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकीन रास्ता हेतु समपर्ण किया गया है, जिस पर वर्तमान मे ग्रेवल सडक बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.46 हैक्टेयर पूर्ण आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है, जिसमें एक बोरिंग बनी हुई है तथा शेष भूमि मौके पर खाली है।

अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा कार्य वैधानिक व विधि सम्मत है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघंन प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.01.2018.को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर